

11/1/17

वकील वादीगण एवं वादीगण अनुपस्थित / उन्हें इजलास के
उठने तक रुक रुक कर आवेज लगवने के बावजूद कोई
उपस्थित नहीं आया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया
प्रकरण दिनांक 12-2-2014 से उतिवादी संख्या 5 व 6 बीतसबी
द्वेष अदालती तलबों में लंबित चला आ रहा है। अतः वाद
पत्र अदम अदालती तलबों में आरंभ दिवायत के बावजूद पेश
नहीं करेंगे से श्वारिज किया जाता है। जिसका फैसल शुमार लेकर
मन्वर से कम हो। बाद ६ फरर दरिखल हो।

उपरखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

